

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) व तत्वाधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (पाई पेपर पर नोटेरी से सत्यापित करावे)

शपथ
ग्रहता / ग्रहिता
की हस्ताक्षरयुक्त
नोटेरी प्रमाणित
पासपोर्ट साईंज
फोटो

(एक वर्ष बाद मृत्यु की सूचना देने पर)

शपथ पत्र (मृत्यु)

मैं (आवेदक का नाम) .....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .....  
वर्तमान आयु .....वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता) .....(मृतक से सम्बन्ध  
लिखे) .....शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि:-

- यह कि मृतक का नाम .....मृतक का लिंग .....मृत्यु तिथि .....मृतक के स्थान का पूर्ण पता .....मृत्यु स्थान का वार्ड नं .....मृतक की माता का नाम .....(मृतक के पिता / पत्नी का नाम) .....  
.....मृतक का मृत्यु के समय का पता .....मृतक का स्थाई पता .....की मृत्यु .....शहर / गाँव में हो गई है।
- यह कि मृतक व मृतक के माता व पिता एवं मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा / रही हूँ।
- यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
- यह कि उक्त मृत्यु का पंजीयन आज दिनांक .....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा / करवाऊँगी।

अंगूठा निशान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहता / ग्रहिता

#### सत्यापन

मैं उपरोक्त .....शपथ ग्रहता / ग्रहिता सत्यापित करता / करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा / रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

अंगूठा निशान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहता / ग्रहिता

#### आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मे समक्ष लिया गया है। जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म—मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 1/- लेकर रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावे।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक .....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मोहर

(30 दिन के बाद एवं एक वर्ष के भीतर मृत्यु की सूचना देने पर)  
(पाई पेपर पर नोटेरी से सत्यापित करावें )

शपथ  
ग्रहता/ग्रहिता  
की हस्ताक्षरयुक्त  
नोटेरी प्रमाणित  
पासपोर्ट साईज  
फोटो

### शपथ पत्र (मृत्यु)

मैं(आवेदक का नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

वर्तमान आयु.....वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता).....

.....(मृतक से सम्बन्ध लिखे).....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि मृतक का नाम.....मृतक का लिंग.....मृत्यु तिथि .....मृतक के स्थान का पूर्ण पता.....मृत्यु स्थान का वार्ड नं.....मृतक की माता का नाम.....(मृतक के पिता/पत्नी का नाम) .....
- .....मृतक का मृत्यु के समय का पता.....मृतक का स्थाई पता .....की मृत्यु .....शहर/गाँव में हो गई है।

2. यह कि मृतक व मृतक के माता व पिता एवं मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।

3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चर्चा कर दी गई है।

4. यह कि उक्त मृत्यु का पंजीयन आज दिनांक.....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/करवाऊँगी।

अंगूठा निशान/हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता

### सत्यापन

मैं उपरोक्त.....शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

अंगूठा निशान/हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता

### आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मे समक्ष लिया गया है। जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2) एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(2) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म—मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 1/- लेकर रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

## कार्यालय जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रार

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम/कस्बा ..... नगर पालिका/ग्राम  
 पंचायत ..... तहसील ..... जिला ..... का निवासी  
 श्री/श्रीमति/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि .....  
 का ग्राम/कस्बा ..... तहसील ..... जिला .....  
 में जन्म/मृत्यु दिनांक ..... को हुआ/हुई है। इसके जन्म/मृत्यु का रजिस्ट्रेशन आज  
 दिनांक तक मेरे कार्यालय में नहीं करवाया गया है अतः आज्ञा पत्र जारी कराने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर मय मोहर  
 अधिशासी अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी  
 नगर पालिका/ग्राम पंचायत .....  
 मोबाइल नं. हस्ताक्षरकर्ता .....

## **रिपोर्ट अध्यक्ष/पार्षद/सरपंच**

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम ..... पटवार हल्का .....  
 तहसील ..... जिला ..... का निवासी है। श्री/श्रीमति/सुश्री  
 ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... का  
 ग्राम/कस्बा ..... तहसील ..... जिला ..... में  
 जन्म/मृत्यु दिनांक ..... को हुआ/हुई है इसकी जांच पड़ोसियों को पुछने पर सही पाया गया है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर मय मोहर  
 अध्यक्ष एवं पार्षद/सरपंच  
 नगर पालिका/ग्राम पंचायत .....  
 मोबाइल नं. हस्ताक्षरकर्ता .....

# जन्म/मृत्यु पंजीकरण हेतु संयुक्त जांच रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .....

निवासी ..... का जन्म/मृत्यु दिनांक ..... को  
ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... मे  
हुआ/हुई है। यह प्रमाण पत्र जांच करने उपरान्त जारी किया गया।

अतः इस जन्म/मृत्यु की घटना का पंजीकरण किए जाने की अभिशंका की जाती है।

गवाह 1. ....

गवाह 2. ....

कार्यकर्ता/सहयोगिनी

A.N.M.

ऑँगनवाडी केंद्र .....

उप स्वास्थ्य केंद्र .....

वार्ड पंच

वार्ड पंच

सरपंच

वार्ड संख्या .....

वार्ड संख्या .....

ग्राम पं. ....